राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 11617/2017

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
एन के गोयल राजभवन रोड, आबू पर्वत सिरोही , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं निदेशक जनस्वास्थ्य निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण सेवाऐं, स्वास्थ्य भवन, तिलकमार्ग जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 08-03-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से डॉ0 आशा, राज्य लोक सूचना अधिकारी उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 20-4-17 के द्वारा दिनांक 1-4-17 को कार्यरत बी.सी.एम.ओ., सी.एम.एच.ओ. आदि के स्वीकृत पद आदि के संबंध में 'ए' से 'के' 11 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को बिन्दुवार सूचना पत्र दिनांक 14-6-17 एवं पुनः पत्र दिनांक 20-12-17 से प्रेषित कर दी गई है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 27-12-17 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है, प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है, से प्रत्यर्थी द्वारा उपरोक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथनों की पुष्टि होती है।

7. अपीलार्थी ने प्रतिक्रिया दिनांक 11-1-18 प्रेषित कर प्राप्त सूचना से असंतोष व्यक्त किया है।

8. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा सूचना के आवेदन के क्रम में बिन्दुवार विनिश्चय/सूचना का प्रेषण किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना वही दी जा सकती है जो कि अभिलेख पर उपलब्ध हो। संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी से अपीलार्थी द्वारा सूचना के आवेदन के अनुक्रम में किसी विशेष कार्यवाही की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

9. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

10. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

11. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त